आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

आई.सी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या—171 / 2023

रेखा कुमारी

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14— फार्म संख्या—563

आदेश की क्रम—संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ।
01.06.2023	यह पुनरीक्षणवाद समाहर्त्ता, वैशाली के वाद संख्या—31 / 2020 / 51 / 2020—21 में दिनांक 28.12.2022 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को अधिग्रहण के बिन्दु पर सविस्तार सुना। विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि वादी का चयन सेविका / सहायिका चयन मार्गदर्शिका—2016 के आधार पर हुआ है, जिसमें समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश अंतिम है। इसलिए प्रश्नगत मामले इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है। आवेदिका को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत मामला में वादी (श्रीमती रेखा कुमारी) का चयन सेविका / सहायिका चयन मार्गदर्शिका—2016 से हुआ है, जिसमें जिला पदाधिकारी द्वारा प्रश्नगत मामले की सुनवाई अपील / पुनरीक्षण के रुप में किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि	

WEB COPY NOT OFFICIAL

	सेविका / सहायिका चयन मार्गदर्शिका–2016 में समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश अंतिम होता है। उक्त मार्गदर्शिका में समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में वाद दायर करने का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। अतएव प्रस्तुत वाद इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय में पोषणीय नहीं पाते हुए पोषणीयता के बिंदु पर **अस्वीकृत** करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। ***आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।*** **लेखापित एवं संशोधित** **आयुक्त** **आयुक्त**	

WEB COPY NOT OFFICIAL